

27.05.2025 प्रावली पेश हुई। आप्रिभक्ता वादीगण  
 अप्रिभक्ता। कहे लः आप्रिभक्ता वादीगण सुखी  
 साधना संगः अन्तर्गत आदेश 09 विम्व 04  
 सी.पी.सी. लपारित धारा 151 सी.पी.सी.  
 पर सुखी जंठ। आप्रिभक्ता अप्रिभक्ता के  
 अनुसार वादी प्रतापराय को कोरे के नाम  
 के साथ पाल रख था जो वादी के  
 कमील को तारखे पेथी पर समीप जापाल  
 में कमील छेत्ते से हजिरे नहीं छेत्ते से  
 उक्त वाड अदम हाजिरी अदम जैरकें



सहायक कलेक्टर, सांचौर  
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

के आदेश भी जा चुकी है अतः दावा को  
रेट्रॉक्ट करने का आदेश फरमावे ।

पत्रावली का अन्वेषण किया गया।  
प्राप्ति हाथ अपने प्रकरण की पैली के  
लिए आपेवम्ता नियुक्त किया हुआ है  
आपेवम्ता का यह नैतिक दायित्व है कि  
प्रकरण की प्रगति से अपने पक्षका  
को अज्ञात करावे तथा पक्षका भी  
अपने मुद्दों को खोल खोज रहे ।

आपेवम्ता प्राप्ति के अनुसार इतने राश  
में नियुक्त आपेवम्ता कोमा क्षेत्र के  
न्यायालय में अपेक्षित नहीं हो सके ।

आपेवम्ता हाथ नियमित तारीख पेश  
पर अपेक्षित नहीं होना केवल इस  
आधार पर प्राप्ति खादी को न्याय  
के वंचित करना उचित नहीं  
होता है अतः आपेवम्ता वादीगण के  
सन्दर्भ में हुई किली तकनीकी प्रगति  
के आधार पर न्याय के वंचित कुल  
उचित नहीं है तथा प्रमाण के संग्रह  
एक साक्षिक विस्तार के लिए उचित  
दृष्टिकोण के पर विस्तार किया जाता  
आवश्यक है प्राप्ति-पत्र अन्तर्गत आदेश  
७ दिनांक ५. 11. 2024 को लयावत था।  
15/ 11. 2024 को लयावत किया गया।  
पूरा पत्रावली प्रतियोगिता में संशुद्ध  
कगार मुद्दमा संख्या - 94/2024 को

सांघौर  
सांघौर

मुकदमा नम्बर 04/2025

सांचौर में जारी  
अवकाश जो इस  
हुकम की जारी  
में जारी हुए।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

पुनः नम्बर पर लेने के आदेश  
दिये जाते हैं। प्रथम पत्रावली दिनांक  
01.07.2025 को प्रेषित है। उक्त  
पक्षका निर्धारित तारीख के  
आयाचन में इजाजत है। निर्णय  
सर-ए-इजाजत हुआ गया।  
पत्रावली प्रथम श्रुति लेकर  
नम्बर के एक कृम की जाका  
दाखिल दायर है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)